न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :— 170 / 2021

प्रार्थीगणः—

1. पृथ्वीसिंह उर्फ प्रतापसिंह पुत्र विरदसिंह उर्फ वरदाजी
2. भगवानसिंह उर्फ भगा पुत्र खीमसिंह उर्फ खीमा
3. भबुतसिंह उर्फ भभूता पुत्र खीमसिंह उर्फ खीमा

जाति पुरोहित निवासी रमणीया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. अशोकसिंह पुत्र वरदाजी
3. गोरधनसिंह पुत्र वरदाजी
4. जितेन्द्रसिंह पुत्र वरदाजी
5. भरतसिंह पुत्र वरदाजी
6. रामसिंह पुत्र वरदाजी
7. श्रीमती बादली पत्नी वरदाजी

जाति पुरोहित निवासी रमणीया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—श्री जयप्रकाश रामदेव
अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::— दिनांक :—05.10.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1001, 1005, 1006, 1007, 1031, 1041, 1073, 1074, 143, 293, 549, 709 व 786 कुल रकबा 18.5427 हैक्टेयर ग्राम रमणीया तहसील तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहें है। प्रार्थीगण के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, एस.बी.आई बैंक डायरी, जनाधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र आदि में उनके वास्तविक नाम पृथ्वीसिंह पुत्र विरदसिंह, भगवानसिंह पुत्र खीमसिंह व भबुतसिंह पुत्र खीमसिंह ही दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थीगण के नाम पृथ्वीसिंह पुत्र विरदसिंह के स्थान पर 'प्रतापसिंह पुत्र वरदाजी' व भगवानसिंह पुत्र खीमसिंह के स्थान पर 'भगा पुत्र खीमा' एवं भबुतसिंह पुत्र खीमसिंह के स्थान पर 'भभूता पुत्र खीमा' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। अतः प्रार्थीगण [illegible] रिकार्ड में अपने नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र [illegible]त [illegible] है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण [illegible] अनुपस्थित रहे। तह[illegible] सिवाना के पत्र क्रमांक—भू.अ. / 2023 / [illegible]5/37 दिनांक 29.04.202[illegible] प्रार्थीगण के वास्तविक नामों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.10.31 10:07:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उनके वास्तविक नाम पृथ्वीसिंह पुत्र विरदसिंह, भगवानसिंह पुत्र खीमसिंह एवं भबुतसिंह पुत्र खीमसिंह है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता स्व. विरदसिंह एवं खीमसिंह का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त संबोधन वाले नाम क्रमशः प्रतापसिंह, भगा व भभूता लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहें है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में उनके नाम पृथ्वीसिंह पुत्र विरदसिंह, भगवानसिंह पुत्र खीमसिंह एवं भबुतसिंह पुत्र खीमसिंह दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता के फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त नाम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के वास्तविक नाम पृथ्वीसिंह पुत्र विरदसिंह, भगवानसिंह पुत्र खीमसिंह एवं भबुतसिंह पुत्र भभूता होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रमणीया तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1001, 1005, 1006, 1007, 1031, 1041, 1073, 1074, 143, 293, 549, 709 व 786 कुल रकबा 18.5427 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम 'प्रतापसिंह पुत्र वरदाजी' के स्थान पर 'प्रतापसिंह उर्फ पृथ्वीसिंह पुत्र विरदसिंह' व 'भगा पुत्र खीमा' के स्थान पर 'भगवानसिंह पुत्र खीमसिंह' एवं 'भभूता पुत्र खीमा' के स्थान पर 'भबुतसिंह पुत्र खीमसिंह' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 05.10.2023 को खुले इजलास में सुनाया गया ।

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.10.31 10:07:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)